न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 5/2021/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 2.6.2021
किस्म अपीलः धारा 75 (1) (एफ) राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

दिलीप कुमार पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील बांरा जिला बांरा (राज0)।
.... अपीलार्थी

बनाम

1. रतन विद्या पुत्री रामकरण पत्नी रामवतार जाति मीणा निवासी ग्राम सीमलिया तहसील मांगरोल जिला बांरा।
2. मुकलेश पुत्री रामकरण पत्नी पुष्पचंद जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील व जिला बांरा
3. ममता पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील बांरा जिला बांरा।
4. बद्रीबाई पत्नी रामकरण जाति मीणा नि0 ग्राम बरानी तहसील बांरा जिला बांरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांरा जिला बांरा ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री मुकेश मीणा अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगा. 4

:: निर्णय ::

दिनांक 9.11.2021

अपीलार्थी दिलीप कुमार द्वारा न्यायालय तहसीलदार बांरा जिला बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 185/2017 अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम, 1956 बउनवान दिलीप कुमार बनाम रतन विद्या वगेरा मे पारित निर्णय 5.5.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील रेस्पो0 के विरूद्ध इस न्यायालय मे राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) के तहत पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि ग्राम कोटडी (पाठेडा) तहसील बांरा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 1018/67 रकबा 2.22 है0 व ग्राम बरानी तहसील बांरा मे स्थित आराजी 18.66 है0 भूमि मे रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा का दर्ज हिस्सा 1/3 को अपीलांट दिलीप कुमार ने मुताबिक नोटेरी वसीयत की प्रमाणित प्रति सहित खातेदार रामकरण का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, नकल जमाबंदी पेश करते हुये उक्त भूमि स्वयं के नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश करने उपंरात अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार के वारिसान की जांच पटवारी हल्का से करवा कर मृतक खातेदार के वारिसान को जरिये नोटिस आहूत कर ब्यान लेखबद्ध करते हुये प्रकरण मे तथ्यों का परीक्षण करते हुये दिलीप कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर मृतक खातेदार रामकरण के हिस्से पर मुताबिक विरासत वारिसान का नाम दर्ज करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 5.5.2021 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी दिलीप कुमार द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) मे अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे रेस्पो0 के नाम नोटिस जारी करने के पश्चात दि0 19.1.2021 को जवाब पेश करने हेतु समय पर आगामी तारीख पेशी 5.2.2021 नियत की गई थी अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नही किया और ना ही जवाब बंद किया गया। सीधी पत्रावली साक्ष्य मे ली जाकर उनके बयान लेखबद्ध किये गये जिसमे न तो अपीलार्थी एंव उसके अधिवक्ता को सूचित नही किया गया। जिरह का भी कोई अवसर नही देकर प्रकरण को दिनांक 5.5.2021 को निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एंव मौजूदा कानून के विपरीत होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने

वसीयत के अनुप्रमाणित गवाह के अपीलांट द्वारा कराये गये बयानों जिसकी निर्णय मे कोई फाईन्डिंग नही दी गई तथा वादग्रस्त आराजी को पुश्तेनी मानते हुये निर्णय पारित कर दिया जो मौजूदा कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट व रेस्पो0 मीणा जाति से है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है तथा मौजूदा कानून मे मीणा जाति मे शादीशुदा पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति मे किसी प्रकार का कोई अधिकार नही रहता अपीलांट दिलीप कुमार रामकरण का दत्तक पुत्र है तथा दत्तक पुत्र होने के नाते ही अपने जीवनकाल मे उसके द्वारा वसीयत आलेखित करवायी गयी थी जिसमे किसी प्रकार का कोई संदेह जनक परिस्थितियां प्रमाणित नही हुई है तथा जो अधिकार जाईन्दा पुत्र को प्राप्त होते है वह सब अधिकार ही गोदपुत्र को प्राप्त होगे। इस प्रकार का मौजूदा कानून है तथा पुत्र की भॉति ही गोदपुत्र पिता के अन्तिम संस्कार के समय समस्त कियाकम रस्म रिवाज के अनुसार किये जाने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा ही सारे कियाकम किये है तथा रामकरण की मृत्यु के पश्चात रामकरण की पगडी भी अपीलांट के ही बंधी है। इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नही कर मनमाने तरीके से उक्त निर्णय पारित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ब्रदीबाई बेवा रामकरण के द्वारा लेखबद्ध कराये बयानों मे भी स्पेस्फिक रूप से दिलीप कुमार को गोद लेने से मना नही किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसके बयानो का अवलोकन किये बिना ही उक्त पारित कर विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेर अपील निर्णय दिनांक 5.5.2021 निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि पक्षकारान जाति से मीणा है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आते है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। मौजूदा कानून मे मीणा जाति मे शादीशुदा पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति मे किसी प्रकार का कोई अधिकार नही रहता अपीलांट रामकरण का दत्तक पुत्र है तथा दत्तक पुत्र होने के नाते ही अपने जीवनकाल मे रामकरण द्वारा अपीलांट के पक्ष मे वसीयत आलेखित की गई थी जिसमे किसी प्रकार का कोई संदेह जनक परिस्थितियां प्रमाणित नही हुई है ऐसी स्थिति मे जो अधिकार जाईन्दा पुत्र को प्राप्त होते है वह सब अधिकार ही गोदपुत्र को प्राप्त होते है। यदि रेस्पो0 को किसी प्रकार की आपत्ति है तो उनको अपने हक अधिकार रेगूलर वाद पेश कर तय कराना चाहिये। बहस मे आगे बताया कि पत्रावली मे दिनांक 19.1.2021 की तिथी नियत थी। उक्त तिथी को रेस्पो0 द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब मे समय देते हुये पत्रावली मे दिनांक 5.2.2021 जवाब हेतु तिथी नियत की किन्तु उक्त नियत तिथी को ना तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब दिया व ना ही जवाब बंद किया सीधे ही अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के साक्ष्य लेकर अपीलांट एंव उसके अभिभाषक को सूचित किये बिना व जिरह का अवसर दिये बिना ही प्रकरण को दिनांक 5.5.2021 को निर्णित कर प्रकियात्मक एंव कानूनी त्रुटि की है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे प्रकट किया कि तथाकथित वसीयत ओरीजनल नही है। खातेदार रामकरण द्वारा अपीलांट के नाम कोई वसीयत/गोदनामा निष्पादित नही किया। उक्त आराजी पुश्तेनी है। रामकरण ने दिलीप को गोद नही रखा गया। रामकरण की मृत्यु एंव तथाकथित वसीयत मे एक माह का अन्तर है। अपीलांट को मृतक रामकरण की आराजी के संबध मे कोई

अधिकार प्राप्त नही है यदि वह प्राकृतिक उत्तराधिकारी है तो उसको सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार तय कराना चाहिये। वसीयत के मामले मे राजस्व न्यायालय को अधिकार प्राप्त नही है। तहसीलदार बांरा द्वारा रामकरण की आराजी को उसके वारिसान के नाम दर्ज करने का जेरअपील निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। तहसीलदार बांरा द्वारा जेरअपील निर्णय वसीयत कर्ता को अपीलग्रस्त भूमि पुश्तेनी होने से वसीयत करने का अधिकार नही होना मानते हुये दिलीप कुमार द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबध मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर खातेदार मृतक रामकरण की भूमि को मुताबिक विरासतन वारिसान के नाम दर्ज करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 5.5.2021 पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 19.1.2021 की तिथी नियत थी। उक्त तिथी को रेस्पो0 द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने पर जवाब मे समय देते हुये पत्रावली मे जवाब हेतु आगामी दिनांक 5.2.2021 नियत की गई थी किन्तु उक्त नियत तिथी को ना तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब दिया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 का जवाब बंद किया सीधे ही अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के साक्ष्य लेकर अपीलांट एंव उसके अभिभाषक को सूचित किये बिना तथा जिरह का अवसर दिये बिना ही प्रकरण को दिनांक 5.5.2021 को निर्णित कर प्रक्रियात्मक एंव कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट के उक्त तर्क की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की उक्त वर्णित आदेशिकाओं के अवलोकन होती है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धातं के विपरीत एंव प्रक्रियात्मक त्रुटि की जाना प्रकट होने से उचित नही ठहराया जा सकता। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क है कि ''पक्षकारान जाति से मीणा है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आते है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। मौजूदा कानून मे मीणा जाति मे शादीशुदा पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति मे किसी प्रकार का कोई अधिकार नही रहता अपीलांट रामकरण का दत्तक पुत्र है तथा दत्तक पुत्र होने के नाते ही अपने जीवनकाल मे रामकरण द्वारा अपीलांट के पक्ष मे वसीयत आलेखित की गई थी''। अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय मे इस संबध मे गौर किये बिना तथा अपना कोई अभिमत प्रकट किये बिना ही खातेदार मृतक रामकरण की उक्त वर्णित अपीलग्रस्त आराजी का विरासतन वारिसान के नाम दर्ज करने का आलौच्य निर्णय दिनांक 5.5.2021 पारित कर विधिक त्रुटि की जाना प्रकट होता है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 5.5.2021 को न्यायोचित नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांरा जिला बांरा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 5.5.2021 अपास्त/निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांरा को उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे उपरोक्त वर्णित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 9.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा